न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ील संख्या : 17/276

1. मुकुट बिहारी आत्मज केदार जी जाति मीणा ।
2. गिर्राज प्रसाद आत्मज केदार जी जाति मीणा ।
3. मुकेश कुमार आत्मज केदार जी जाति मीणा ।
4. दिनेश कुमार आत्मज केदार जी जाति मीणा ।
5. चमेली बाई बेवा केदार जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम लाख सनीजा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. शम्भूदयाल आत्मज केदार जी जाति मीणा ।
2. अनोख बाई पुत्री केदार जी जाति मीणा ।
3. मन्नी बाई पुत्री केदार जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम लाख सनीजा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 17/277

1. मुकुट बिहारी आत्मज केदार जी जाति मीणा ।
2. गिर्राज प्रसाद आत्मज केदार जी जाति मीणा ।
3. मुकेश कुमार आत्मज केदार जी जाति मीणा ।
4. दिनेश कुमार आत्मज केदार जी जाति मीणा ।
5. चमेली बाई बेवा केदार जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम लाख सनीजा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. शम्भूदयाल आत्मज केदार जी जाति मीणा ।
2. अनोख बाई पुत्री केदार जी जाति मीणा ।
3. मन्नी बाई पुत्री केदार जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम लाख सनीजा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री साहब लाल मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय दिनांकः 04.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 एवं 03.08.2016 एवं 16.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से तथा एक ही वादग्रस्त आराजी के सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकारान होने से उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 शम्भूदयाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम लाख सनीजा तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 574 की 3.66 हैक्टर कुल दो किता की 3.66 भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर उक्त भूमि में अपना 1/3 हिस्सा बताते हुए उक्तानुसार विधिवत विभाजन का निवेदन करते हुए अपने हिस्से की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 एवं 03.08.2016 एवं 16.09.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 एवं 03.08.2016 एवं 16.09.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.06.2017 को रेस्पोडेन्ट जबरन अपीलान्ट के खेत को हांकने आए तब अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. उक्त दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । रेस्पोडेन्ट कम 1 काश्तकार पेश व्यक्ति नहीं है रेस्पोडेन्ट कम 1 अपने पिता के जीवनकाल में ही अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाने से वर्णित आराजी पर रेस्पोडेन्ट कम 1 का कभी कब्जा नहीं रहा है । उक्त सम्पूर्ण आराजी पर अपीलान्ट कदिमी समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा सभी सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया और वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में हुए बंटवारे के तथ्य को छिपाकर एकपक्षीय बाद डिक्री करवा लिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 एवं 03.08.2016 एवं 16.09.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 का हक हिस्सा निहित है और उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 एवं 03.08.2016 एवं 16.09.2016 बहाल रखे जावें ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित करते हुए वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने प्रस्तुत प्रकरण में सभी सहखातेदारान को पक्षकार भी नहीं बनाया इस प्रकार उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 17/276 एवं 17/277 दोनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.07.2016 एवं 03.08.2016 एवं 16.09.2016 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में सभी पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कायम प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.08.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा